न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 159/2023

आरसीएमएस नं. 2023/159

1. राजेन्द्र
2. रामजीलाल
3. देवीलाल
4. इन्द्राज
5. अमीलाल

पि0 श्रीचन्द जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

1. जुगलाल बैनिवाल पुत्र श्रीचन्द बैनिवाल जाति जाट निवासी गिराजसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नोहर।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश दिनांक 27.03.2023

द्वारा उपखण्ड अधिकारी नोहर।

प्रकरण संख्या 45/2022, अनवान जुगलाल बनाम सरकार

उपस्थितिः–

श्री मांगेराम गोदारा अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री मनीराम सरावग अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1

श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पो सं0 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय   दिनांक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए सीपीसी के अन्तर्गत पेश किया प्रार्थना–पत्र में रोही मौजा पाण्डुसर के खसरा नं. 495/45 की कुल 0.1060 है0 भूमि का रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 सगे भाई हैं। हमने हमारी भूमि का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया तथा रेस्पोडेण्ट सं0 1 के खेत में आवागमन के लिए खेत के बीचों बीच खसरा नं. 489/45, 491/45, 492/45, 493/45, 494/45 इन सभी खसरों में खेत के बीच में हमने ढाणी बना रखी है। ढाणी के पूर्वी साईड में खेत के बीच में 3–1/2 बिस्वा रास्ता दे रखा है जो आज भी मौके पर चालू तथा यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता जिससे हम सभी भाई अपने खेत में बनी ढाणियों में प्रवेश कर सकते हैं इसी रास्ते को मंजूर करवाने के लिए हमारी सहमति बनी थी लेकिन रेसपोडेण्ट सं0 1 ने बिना कोई सूचना दिये बिना पक्षकार बनाये मनमर्जी से हमारे खेतों से पूर्वी सींव पर प्रश्नगत अपीलाधीन रास्ता स्वीकृत करवा लिया है, जो हमारे हितों के खिलाफ है जिसे निरस्त किया जाकर मौके पर चालू खेत के बीच में हमारी ढाणी से पूर्वी दिशा में चालू रास्ते को मंजूर किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने इकबाल अपील प्रार्थना–पत्र पेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरसत करने एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सगे भाई हैं जिन्होंने अपनी भूमि का आपसी बंटवारा कर रखा हैं। अपील में यह कथन आया है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 के खेत के लिए खेत के बीचों बीच खसरा नं. 489/45, 491/45, 492/45, 493/45, 494/45 इन सभी खसरों में खेत के बीच में ढाणी बना रखी है। ढाणी के पूर्वी साईड में खेत के बीच में 3–1/2 बिस्वा रास्ता दे रखा है जो आज भी मौके पर चालू तथा यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता जिससे हम सभी भाई अपने खेत में बनी ढाणियों में प्रवेश कर सकते हैं इसी रास्ते को मंजूर करवाने के लिए पक्षकारान सहमति बनी थी लेकिन रेसपोडेण्ट सं0 1 ने बिना किसी सूचना दिये बिना पक्षकार बनाये मनमर्जी से अपीलाण्ट के खेतों से पूर्वी सींव पर अपीलाधीन रास्ता स्वीकृत करवा लिया है। चूंकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने इकबाल अपील पेश किया और कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाता है एवं अपील स्वीकार की जाती है तो वह पूर्णतया सहमत है। अतः अपील एवं इकबाल अपील के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.03.2023 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आया नहीं है इसलिए निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिवजाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/23

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)